न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर(आरटीएस)

मि.न.–48 / 2020

दिनांक:: 13-9-21

सरकार बनाम अशोक चौधरी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 68 रकबा 13.32 है0 किस्म गै0मु0 नदी में से 0.0152 है0 पर पुख्ता निर्माण डण्डा बनाकर अशोक चौधरी पुत्र मामचन्द चौधरी ने निवासी रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया सोतानाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अतिकमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एलआरएक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये। सूचनापरान्त गैर–सायलान के वकील उपस्थित आए। गैरसायलान के वकील ने जवाब में कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे मनमाने तरीके से अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पूर्व में भी प्रार्थी को 120 मी भूमि का अतिकमी माना गया था ततसमय प्रार्थी द्वारा दिनांक 1.12.2018 को अतिक्रमण हटा लिया गया था एवं अपनी ख़ातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार खडी कर ली गई थी। तब से लेकर आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है। प्रकरण में भूप्रबंध विभाग से टीम बुलाकर खसरा न0 68 का पुनः सीमाज्ञान करवाये जाने के आदेश प्रदान करे एवं प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही खारिज फरमाने की कृपा करे। गैर सायल का जवाब सामील पत्रावली कर पुनः राजस्व कार्मिको की टीम का गठन कर आराजी ख़0न0 68 मौजा मलपुरा का सीमाज्ञान कर पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राजस्व कार्मिको की टीम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई थी। आराजी ख0न0 68 के पास रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया सोतानाला में फैक्ट्रीयॉ निर्मित है। मौके पर अतिक्रमी द्वारा पुख्ता निर्माण डण्ड़ा हटा लिया गया है। ख0न0 68 किस्म गै0मु0 नदी क्षेत्र में झाडियां व उबड़–खाबड़ एरिया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया मुताबिक़ रिपोर्ट गैर–सायल द्वारा पुख्ता निर्माण डण्ड़ा अतिक्रमण हटा दिया गया है। इस लिए प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः गैर–सायल अशोक चौधरी पुत्र मामचन्द चौधरी ने निवासी रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया सोतानाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व ख0न0 68 रकबा 13.32 है0 किस्म जमीन गै0मु0 नदीं में से 0.0152 है0 पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही ड्राप की जाती है। यदि गैर–सायल अपनी स्वयं की भूमि का

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सीमाज्ञान भू–प्रबन्ध विभाग से करवाना चाहता है तो स्वयं के स्तर से सक्षम स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवावे। पटवारी हल्का को हिदायत दी जाती है कि अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने पर नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक......13-9-21...... को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)